(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दुर्गा शंकर मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 192/2021

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021/223

बउनवान

1. बरजी बाई पुत्री मंगला जाति चमार निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारॉ
2. पंसुरी पुत्री मंगला जाति चमार निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारॉ
3. बदाम बाई पुत्री मांगी बाई जाति चमार निवासी करनाहेड़ा तहसील बारां जिला बारां
4. नुकलेश पुत्री मांगी बाई जाति चमार निवासी हीकड़ तहसील बारां जिला बारां
5. अमरलाल पुत्र मांगी लाल जाति चमार निवासी हलगना तहसील बारां जिला बारां
6. जानकी बाई पुत्री मांगी लाल जाति चमार निवासी हलगना तहसील बारां जिला बारां

(अपीलांटगण)

बनाम

ग्यारसीबाई पुत्री श्री मंगला पत्नि श्री रामकिशन जाति चमार निवासी खुरी तहसील अटरू हाल मुकाम पीपल्या जागीर तहसील छबड़ा जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्व तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 510 दिनांक 18.05.2020 वाके ग्राम पीपल्या जागीर तहसील छबडा अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री अशोक कुमार मीणा अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री अरविन्द बघेरवाल अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 07.02.2023

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 510 दिनांक 18.05.2020 वाके ग्राम पीपल्या जागीर तहसील छबडा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.07.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि विवादित आराजी जो कंवरलाल को प्राप्त होना कहा गया है, कंवरलाल अन्य को उनके पिता मंगला से प्राप्त जायदाद होने के कारण पैतृक संपत्ति रही है। पैतृक संपत्ति के बाबत् कंवरलाल को अपने हिस्से से अधिक की वसीयत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण अवैध होने से निरस्तनीय है। कंवरलाल के पिता मंगला थे परन्तु उक्त मंगला के सभी वारिसान [illegible] गया है। कथित वसीयत कंवरलाल अपंजीकृत है। मात्र नोटेरी से हीं प्रमाणित बताई जा रही है। [illegible] के गवाहान हरिश व खेमराज थे जिनमें से खेमराज की मृत्यु होना बताया गया है तथा हरिश को [illegible]पत्र द्वारा गवाह न्यायालय में पेश करना बताया गया है परन्तु उक्त गवाह हरिश अधी. न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुआ है और उसकी कोई प्रति परीक्षा भी नहीं की गई है और न ही दिनांक 06.0[illegible]20 को शपथ पत्र पढ़ कर [illegible] गया है। प्रकरण में गवाह ग्यारसीबाई, बृजराज, हेमराज, किशोर, हरिश इत्यादि के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये है। इसमें गवाह हरिश कथित वसीयत का गवाह है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:02:04 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा पारित निर्णय इंतकाल नं. 510 दिनांक 18.05.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अपीलांट के अभिभाषक द्वारा वसीयत के गवाह हरिश को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होना बताया गया है। जबकि गवाह हरिश अधी. न्यायालय मे उपस्थित था। यदि उसे फर्जी माना जाता है तो उसके विरुद्ध सिविल न्यायालय में फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। अपील में यह बिन्दु सुनने योग्य नहीं है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। अधी0 न्यायालय द्वारा वसीयत को नियमानुसार सुना जाकर हीं उक्त इंतकाल तस्दीक किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा तस्दीकी इंतकाल नम्बर 510 दिनांक 18.05.2020 वाके ग्राम पीपल्या जागीर तहसील छबडा जो वसीयतनामा को सुना जाकर उनके न्यायालय के प्रकरण सं. :– भू–अभिलेख/उत्तराधिकार/2020/3600 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 12.02.2020 की पालना में खोला गया है जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **07.02.2023** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(दुर्गा शंकर मीना)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:02:04 IST
Reason: SelfAttested